HINDU, Online, 20.2.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

Christians demand national-level panel to redress 'targeted violence

https://www.thehindu.com/news/national/christians-stage-protest-at-jantar-mantar-against-targeted-violence/article66529073.ece

The community will send a memorandum to President Murmu, asking for remedy; U.P., Chattisgarh, M.P., Uttarakhand, Karnataka and Jharkhand are the worst-hit

Members of the Christian community in the national capital on February 19, staged a protest here to draw the government, Judiciary and civil society's attention to the "rising incidents of crime against the community".

The community will also be sending a memorandum to President Droupadi Murmu, asking for a National Redressal Commission headed by a retired Supreme Court judge to address the issues of "targeted" violence against the community.

Also read | 'Lone wolf' attacks planned in several M.P. churches, dargahs: police

The memorandum, which was signed by the community members here on Sunday, said "continued waves of vile hate speech and targeted violence have buffeted the Christian community in recent years, and in particular in 2022-23. The violence seems to have reached a crescendo in January and February 2023".

It said, that of particular concern were the States of Uttar Pradesh, Chattisgarh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Karnataka and Jharkhand.

It flagged registration of malicious FIRs, non-registration of FIRs despite complaints filed by victims, lack of CCTVs in police stations and illegal detentions as chief concerns.

Strengthen monitoring mechanisms

The memorandum sought the strengthening of human rights monitoring mechanisms, including the National Commission for Minorities and National Human Rights Commission, speedy closure of cases where false allegations had been leveled against Christians and the constitution of a National Redressal Commission headed by a retired Supreme Court judge with representation of the community in order to address the issue.

One of the members of the community who was present at the protest in Jantar Mantar said: "We are being accused of forcibly converting people to Christianity. Churches are being attacked, our people are being beaten up and arrested. The community members are living in a constant state of panic."

Shivpal from Uttar Pradesh claimed that the State Police had been arresting people over allegations of forced conversions.

In a press release issued, the community said that "The United Christian Forum, a human rights groups based in New Delhi that monitors atrocities against Christians in

India, has recorded a total of 598 incidents of violence against Christians from 21 States till the end of December 2022".

K’taka BJP chief violates the Constitution he, as MP, has sworn to defend

https://www.mangalorean.com/ktaka-bjp-chief-violates-the-constitution-he-as-mp-has-sworn-to-defend/

K’taka BJP Chief Violates The Constitution He, As MP, Has Sworn To Defend

The controversial statement by Karnataka BJP President Nalin Kumar Kateel to send the descendants of Tipu Sultan to the jungles is highly derogatory and negates the very principles of citizenship provided by the Constitution of India.

Article 5 clearly states that citizenship is conferred upon all those persons who have their domicile in the Indian territory. Kateel also said that they being devotees of Lord Ram and Hanuman have the right to live in the fertile land, while the followers and descendants of Tipu have no rights.

The statement made by Kateel has two major implications. One, the followers of Tipu, whether they are Hindus or Muslims, are not eligible to live in Karnataka. Second, the kith and kin of the Tippu family whom he called as descendants should be sent back to their home. Unfortunately, he forgot to tell which home?

Kateel being a Member of Parliament needs to abide by the Constitution and its core values.

The Constitution also lays down certain fundamental duties to its citizens. Kateel also being a citizen has certain fundamental duties such as cherish and follow the noble ideals that inspired the national struggle for freedom; uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India; promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversitie; to renounce practices derogatory to the dignity of women; and value and preserve the rich heritage of the country’s composite culture abide.

If we examine the controversial statement made by Kateel in the context of above mentioned constitutional values, he not only violated the Constitution but also failed to discharge his constitutionally bounded duties as a Citizen.

Firstly, the statement is very derogatory, objectionable and an attack on the very social and cultural fabric of the Nation. Who is Kateel to declare that this is the land of Ram and Hanuman Bhakts when the Constitutions say it is the land of all Indians.

Further, Article 15 of the Constitution of India forbids discrimination on grounds only of religion, race, caste, sex, or place of birth. It applies Article 14’s general principle of equality in specific situations by forbidding classifications made on protected grounds.

Kateel is not above the constitution to make such derogatory statements. It’s completely baseless and highly objectionable. Being a Member of Parliament who has taken oath in the name of the Constitution, he violated the core values of the Constitution for which

he deserves legal action. The people against whom he made such a derogatory statement should file a complaint against him seeking legal action.

If not, it is time for the Constitutional bodies such as the Election Commission and the National Human Rights Commission to register suo moto cases against an individual for assaulting the dignity of a particular community. Using religion and caste to provoke people on communal lines and spreading hatred day in and day out is a criminal offence.

Second, his (their) effort to misinterpret history has been known for many years. The attempt to distort the history to suit their interest is essentially for a political mileage keeping an eye on the forthcoming Assembly elections. It is not a surprise.

They have been doing it time and again when an election comes. It is a good tool to polarize people in terms of caste, religion and god. It is time for the people of the state to say it aloud that history is not an arbitrary narrative where myth can override the facts and they will not be carried away by such attempts by the communal forces.

The only way to snub and discourage these kinds of anti-human and religious fundamentalist tendencies for the sake of power is to raise public voice against such divisive forces. People should publicly condemn and shame such individuals and groups for using such narratives to divide people on the communal lines.

They should reiterate that international Human Right legal instruments on Civil and Political Rights and also the nation state constitutions establish that the authority to govern shall be based on the will of the people as expressed in periodic, free and fair elections.

HINDU, Chennai, 20.2.2023
Page No. 12, Size:(9.55)cms X (7.91)cms.

Christians demand national-level panel to redress 'targeted violence'

Special Correspondent
NEW DELHI

Members of the Christian community on Sunday staged a protest at Jantar Mantar here to draw the attention of the government, judiciary and civil society to the "rising incidence of crime against the community".

They will be sending a memorandum to President Droupadi Murmu, asking for a National Redressal Commission headed by a retired Supreme Court judge to address the issue of "targeted" violence against the community.

The memorandum, which was signed by the community members on Sunday, said, "Continued waves of vile hate speech and targeted violence have buffeted the Christian community in recent years, and in particular in 2022-23. The violence seems to have reached a crescendo in January and February 2023." The United Christian Forum, a human rights groups, recorded 598 incidents of violence against Christians in 21 States till the end of December 2022, a press release issued by the community said.

Call for action: Christians in New Delhi protesting on Sunday against the violence against the community. SUSHIL KUMAR VERMA

The States of Uttar Pradesh, Chattisgarh, Madhya Pradesh, Uttarakhand, Karnataka and Jharkhand were of particular concern, it noted. It flagged registration of malicious FIRs, non-registration of FIRs despite complaints filed by victims, and illegal detentions as chief concerns.

The memorandum sought the strengthening of human rights monitoring mechanisms, including the National Commission for Minorities and National Human Rights Commission, speedy closure of cases where false allegations had been leveled against Christians, and the constitution of a national redressal commission headed by a retired Supreme Court judge with representation of the community.

One member of the community said: "We are being accused of forcibly converting people to Christianity. Churches are being attacked, our people are being beaten up and arrested. The community members are living in a constant state of panic."

HINDU, Online, 20.2.2023
Page No. 0, Size:(0)cms X (0)cms.

BJP leaders behind illegal coal mining in Assam: Assam Jatiya Parishad

https://www.thehindu.com/news/national/other-states/bjp-leaders-behind-illegal-coal-mining-in-assam-ajp/article66528983.ece

The Assam Jatiya Parishad said rat-hole mining is being carried out under the noses of police, forest and local administrative officials despite an NGT ban from 2014

Some Bharatiya Janata Party (BJP) leaders are behind illegal coal mining in Assam, a State-based political party has alleged in a set of memorandums on February 16.

The Assam Jatiya Parishad (AJP) submitted a petition each to the President, Vice-President, Prime Minister, Chief Justice of India, the National Green Tribunal (NGT), the National Human Rights Commission and the Leader of the Opposition in the Rajya Sabha.

AJP president Lurinjyoti Gogoi and general secretary Jagadish Bhuyan said illegal rat-hole coal mining has continued in Assam besides Meghalaya and other north-eastern States with the alleged patronage of the BJP leaders and in collusion with officials despite a blanket ban on such type of mining by the NGT in 2014.

Rat-hole mining involves the digging of very small tunnels, usually only 3-4 feet high, which workers enter and extract coal from.

In the memorandum, the AJP leaders said the coal mined and transported illegally in Assam is worth about ₹2,000 crore per month. While this is causing large-scale damage to the environment, a bigger issue has been tax evasion, they pointed out.

“In 2014, the NGT banned the rat-hole mining method. But unfortunately, it is continuing unabated in the Tinsukia and Karbi Anglong districts of Assam,” they alleged.

They said a probe panel headed by a retired judge of the Gauhati High Court and instituted by the State government, reported the continuation of the illegal rat-hole mining activities.

“The report of the commission highlighted the danger of deforestation,” they said.

The AJP said after the locals, various organisations and environmental activists had staged widespread protests against illegal coal mining, the authorities on August 7, 2022, issued prohibitory orders restricting the entry of unauthorised persons to the reserved forest areas of Lekhapani, Tirap and Tipong (Tinsukia district). But the illegal activities have continued, the party said.

“The involvement of some politicians belonging to the BJP is an open secret in Assam… These politicians reportedly influence the authorities to issue entry passes to traders for the extraction of coal. The politicians receive a cut for every truck that exits the area…

We have reasons to believe that such illegal mining is continuing at the behest and patronage of the State government," the AJP said.

The party urged Prime Minister Narendra Modi to initiate appropriate action against government officials and politicians patronising illegal mining and transportation of coal.

PIONEER, Bhubaneswar, 20.2.2023
Page No. 3, Size:(17.11)cms X (10.60)cms.

Mamita murder: NHRC seeks ATR from B'ngir SP

RAJESH BEHERA
■ BHUBANESWAR

The National Human Rights Commission (NHRC) has sought for detailed Action Taken Report (ATR) from the Superintendent of Police, Balangir district, in the matter of Mamita Meher murder case.

The NHRC also directed the SP to submit the ATR within four weeks, including details of compensation paid to the next of kin (NOK) of deceased victim Mamita.

Seeking intervention of the apex rights panel of India, Supreme Court lawyer and activist Radhakanta Tripathy, contended that in October 2021, Mamita, who was a teacher, went missing. After about 10 days of her missing, her mutilated half burnt body was exhumed from under 10 feet in the playground of the school, where she worked. The police could not get clue on the victim's murderer, neither was any appropriate legal action taken and compensation provided to the NOK of the victim.

The petitioner requested the Commission for proper investigation, action against the errant police officials and Rs 50 lakh compensation to the NOK.

On 22.09.2022 the NHRC had directed to the Superintendent of Police, Kalahandi, to submit ATR in the matter within four weeks. Pursuant to the direction of the Commission, the Superintendent of Police, Kalahandi, vide communication dated 21.10.2022 submitted a report wherein it was submitted that ASP, Kalahandi inquired into the matter. The victim was murdered within the jurisdiction of Sindhekela PS of Balangir district and Sindhekela PS Case No. 97 dated 13.10.2021 u/s 366/ 302/201/120(B) IPC was registered and charge sheet was filed in the court for trial.

It is further submitted that the investigation of the case was taken up by the Balangir Police and except rendering necessary assistance to the Balangir Police as and when sought for, the Kalahandi Police had no role in the investigation of the case.

NAVBHARAT TIMES, Lucknow, 20.2.2023
Page No. 9, Size:(25.70)cms X (17.69)cms.

राजनीतिक पदों पर नियुक्ति के सिलसिले में 'कूलिंग ऑफ पीरियड' को जरूरी बताते हैं एक्सपर्ट्स

रिटायर्ड जजों को कब मिले सरकारी पद

राजेश चौधरी

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को राजनीतिक पद दिए जाने को लेकर बहस फिर तेज हुई है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसे पद रिटायरमेंट के एक से तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद ही दिए जाने चाहिए। वैसे यह बहस पुरानी है और इस पर लॉ कमिशन से लेकर संसद तक में सवाल उठ चुके हैं।

Dall E 2 image generator

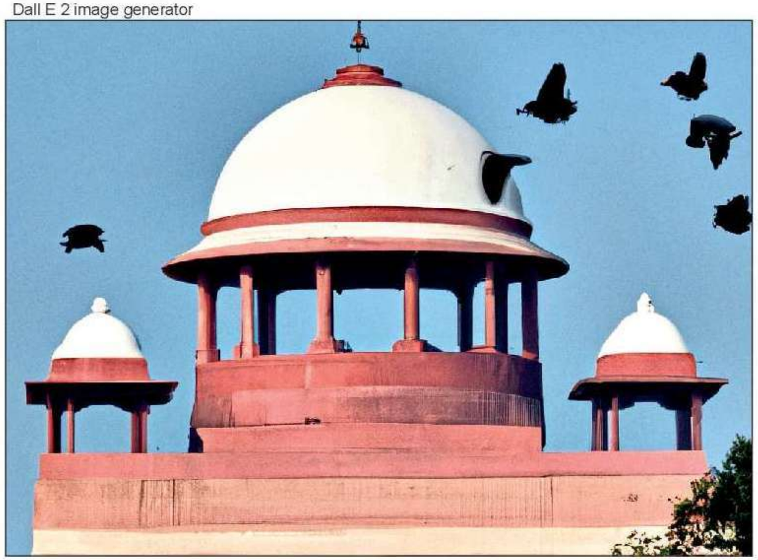

पहले क्या हुआ

कुछ पद ऐसे हैं, जिन पर शीर्ष अदालत और हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज ही बैठ सकते हैं। मसलन, लॉ कमिशन के चेयरमैन या NHRC (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) के चेयरमैन। इसलिए इन्हें लेकर कोई विवाद नहीं रहा है। डिबेट उन पदों पर नियुक्तियों को लेकर होती है, जिन पर कोई भी बैठ सकता है और नियुक्तियां सरकार करती है।

- सुप्रीम कोर्ट से जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज NHRC चेयरमैन बनाए जाते रहे हैं, जो नियम के मुताबिक है।
- लॉ कमिशन का चेयरपर्सन भी रिटायर्ड जज को ही बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा अभी NHRC के चैयरमैन हैं। इसके पहले चेयरमैन रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा थे। फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस एमएन वेंकटचलैया, चीफ जस्टिस जेएस वर्मा, चीफ जस्टिस एएस आनंद भी इस पद पर रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान लॉ कमिशन के आखिरी चेयरमैन थे।
- सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और चीफ जस्टिस देश की अलग-अलग यूनिवर्सिटी में VC भी बन चुके हैं। जस्टिस पीबी गजेंद्रगडकर 1966 में रिटायरमेंट के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी के VC बने थे। 1997 में चीफ जस्टिस पद से रिटायर होने के बाद जस्टिस एएम अहमदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के चांसलर बने। 1970 में रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह रिटायरमेंट के बाद छठे उप-राष्ट्रपति बने थे।

राजनीतिक नियुक्तियां

- जहां तक राज्यपाल के पद पर नियुक्ति का सवाल है तो जस्टिस एस फजल अली सुप्रीम कोर्ट से 18 सितंबर 1951 को रिटायर हुए थे और उन्हें 7 जून 1952 को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया था। वह 1956-1959 तक असम के भी राज्यपाल रहे।
- 1997 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस फातिमा बीबी को तामिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति रिटायरमेंट के पांच साल बाद हुई थी।
- चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम 26 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। उन्हें 5 सितंबर 2014 को केरल का राज्यपाल बनाया गया।
- चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था और वह चुनाव जीतकर 1998 में राज्यसभा पहुंचे थे।
- चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जब अपने पद से रिटायर हुए तो उन्हें बीजेपी सरकार ने मार्च 2020 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया।

रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर

लॉ कमीशन सरकारी नियुक्ति के हक में नहीं

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले जजों के पास काफी तजुर्बा होता है और इसका लाभ देश को मिलना चाहिए।

- सीनियर वकील एमएल लाहौटी बताते हैं, 65 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर हो जाते हैं। इन्हें अगर संवैधानिक, जैसे- राज्यपाल आदि का पद दिया जाता है तो यह उनके तजुर्बे का सही इस्तेमाल है। इस पद पर बैठने वालों को कई बार संवैधानिक संकट होने पर विवेक का इस्तेमाल करना होता है।'
- सीनियर एडवोकेट विकास सिंह कहते हैं, 'राज्यसभा के मनोनीत सांसद या राज्यपाल जैसे पदों पर रिटायर्ड जजों की नियुक्ति में कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। रिटायरमेंट के तुरंत बाद जजों को ऐसे पद देने पर सवाल उठते हैं, लेकिन साल दो साल बीतने पर हालात बदल चुके होते हैं। तब नियुक्ति मेरिट के आधार पर की गई मानी जाती है।'
- लॉ कमीशन के पूर्व चेयरमैन जस्टिस एपी शाह ने भी कहा था कि रिटायर्ड जजों के लिए सरकार द्वारा पद ऑफर किए जाने पर 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए।

लॉ कमिशन ने 14वीं रिपोर्ट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को सरकारी पद नहीं दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार, शीर्ष अदालत में ज्यादातर मुकदमों में एक पक्ष होती है। इसलिए ऐसी नियुक्तियों से आम लोगों के बीच गलत संदेश जाता है। संवैधानिक कोर्ट सरकार के हर फैसले का जुडिशल रिव्यू करता है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद ऐसे किसी संस्थान या पद पर रिटायर जस्टिस का जाना अपने पद को कम करने के बराबर ही है।

सरल नहीं है मसला

कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जब केंद्र में रहीं तो उन्होंने ऐसी नियुक्तियां कीं। इस मामले में बीजेपी के सीनियर नेता अरुण जेटली ने 5 सितंबर 2013 को राज्यसभा में कहा था कि रिटायरमेंट के बाद जजों को पद दिए जाने की व्यवस्था हो रही है और यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। बहरहाल, यह मुद्दा इतना सिंपल नहीं है। कई पद तो ऐसे हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस या चीफ जस्टिस ही बैठने की योग्यता रखते हैं। इन्हें लेकर विवाद भी नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट यह जरूर मानते हैं कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद जजों को सरकार द्वारा कोई पद नहीं दिया जाना चाहिए।

NAVBHARAT TIMES, Delhi, 20.2.2023
Page No. 10, Size:(25.70)cms X (17.69)cms.

राजनीतिक पदों पर नियुक्ति के सिलसिले में 'कूलिंग ऑफ पीरियड' को जरूरी बताते हैं एक्सपर्ट्स

रिटायर्ड जजों को कब मिले सरकारी पद

राजेश चौधरी

सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर को आंध्र प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया है। इसके बाद से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को राजनीतिक पद दिए जाने को लेकर बहस फिर तेज हुई है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ऐसे पद रिटायरमेंट के एक से तीन साल के कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद ही दिए जाने चाहिए। वैसे यह बहस पुरानी है और इस पर लॉ कमिशन से लेकर संसद तक में सवाल उठ चुके हैं।

पहले क्या हुआ

कुछ पद ऐसे हैं, जिन पर शीर्ष अदालत और हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज ही बैठ सकते हैं। मसलन, लॉ कमिशन के चेयरमैन या NHRC (राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग) के चेयरमैन। इसलिए इन्हें लेकर कोई विवाद नहीं रहा है। डिबेट उन पदों पर नियुक्तियों को लेकर होती है, जिन पर कोई भी बैठ सकता है और नियुक्तियां सरकार करती है।

- सुप्रीम कोर्ट से जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज NHRC चेयरमैन बनाए जाते रहे हैं, जो नियम के मुताबिक है।
- लॉ कमिशन का चेयरपर्सन भी रिटायर्ड जज को ही बनाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा अभी NHRC के चेयरमैन हैं। इसके पहले चेयरमैन रिटायर्ड चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा थे। फिर रिटायर्ड चीफ जस्टिस एमएन वेंकटचलैया, चीफ जस्टिस जेएस वर्मा, चीफ जस्टिस एएस आनंद भी इस पद पर रह चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस बीएस चौहान लॉ कमिशन के आखिरी चेयरमैन थे।

Dall E 2 image generator

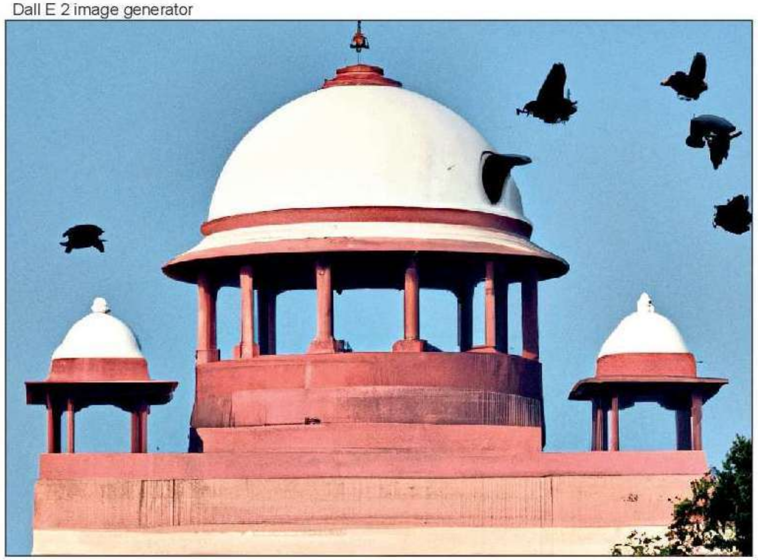

- सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और चीफ जस्टिस देश की अलग-अलग यूनिवर्सिटी में VC भी बन चुके हैं। जस्टिस पीबी गजेंद्रगडकर 1966 में रिटायरमेंट के बाद मुंबई यूनिवर्सिटी के VC बने थे। 1997 में चीफ जस्टिस पद से रिटायर होने के बाद जस्टिस एएम अहमदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) के चांसलर बने। 1970 में रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हिदायतुल्लाह रिटायरमेंट के बाद छठे उप-राष्ट्रपति बने थे।

राजनीतिक नियुक्तियां

- जहां तक राज्यपाल के पद पर नियुक्ति का सवाल है तो जस्टिस एस फजल अली सुप्रीम कोर्ट से 18 सितंबर 1951 को रिटायर हुए थे और उन्हें 7 जून 1952 को ओडिशा का राज्यपाल बनाया गया था। वह 1956-1959 तक असम के भी राज्यपाल रहे।
- 1997 में सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जस्टिस फातिमा बीबी को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाया गया था, लेकिन उनकी नियुक्ति रिटायरमेंट के पांच साल बाद हुई थी।
- चीफ जस्टिस पी. सदाशिवम 26 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट से रिटायर हुए। उन्हें 5 सितंबर 2014 को केरल का राज्यपाल बनाया गया।
- चीफ जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के रिटायरमेंट के बाद कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया था और वह चुनाव जीतकर 1998 में राज्यसभा पहुंचे थे।
- चीफ जस्टिस रंजन गोगोई जब अपने पद से रिटायर हुए तो उन्हें बीजेपी सरकार ने मार्च 2020 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया।

रिटायर्ड जस्टिस एस अब्दुल नजीर

लॉ कमीशन सरकारी नियुक्ति के हक में नहीं

एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले जजों के पास काफी तजुर्बा होता है और इसका लाभ देश को मिलना चाहिए।

- सीनियर वकील एमएल लाहौटी बताते हैं, 65 साल की उम्र में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रिटायर हो जाते हैं। इन्हें अगर संवैधानिक, जैसे- राज्यपाल आदि का पद दिया जाता है तो यह उनके तजुर्बे का सही इस्तेमाल है। इस पद पर बैठने वालों को कई बार संवैधानिक संकट होने पर विवेक का इस्तेमाल करना होता है।'
- सीनियर एडवोकेट विकास सिंह कहते हैं, 'राज्यसभा के मनोनीत सांसद या राज्यपाल जैसे पदों पर रिटायर्ड जजों की नियुक्ति में कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए। रिटायरमेंट के तुरंत बाद जजों को ऐसे पद देने पर सवाल उठते हैं, लेकिन साल दो साल बीतने पर हालात बदल चुके होते हैं। तब नियुक्ति मेरिट के आधार पर की गई मानी जाती है।'
- लॉ कमीशन के पूर्व चेयरमैन जस्टिस एपी शाह ने भी कहा था कि रिटायर्ड जजों के लिए सरकार द्वारा पद ऑफर किए जाने पर 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए।

लॉ कमिशन ने 14वीं रिपोर्ट में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस को सरकारी पद नहीं दिया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया था कि सरकार, शीर्ष अदालत में ज्यादातर मुकदमों में एक पक्ष होती है। इसलिए ऐसी नियुक्तियों से आम लोगों के बीच गलत संदेश जाता है। संवैधानिक कोर्ट सरकार के हर फैसले का जुडिशल रिव्यू करता है। ऐसे में रिटायरमेंट के बाद ऐसे किसी संस्थान या पद पर रिटायर जस्टिस का जाना अपने पद को कम करने के बराबर ही है।

सरल नहीं है मसला

कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां जब केंद्र में रहीं तो उन्होंने ऐसी नियुक्तियां कीं। इस मामले में बीजेपी के सीनियर नेता अरुण जेटली ने 5 सितंबर 2013 को राज्यसभा में कहा था कि रिटायरमेंट के बाद जजों को पद दिए जाने की व्यवस्था हो रही है और यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता के लिए खतरा है। बहरहाल, यह मुद्दा इतना सिंपल नहीं है। कई पद तो ऐसे हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस या चीफ जस्टिस ही बैठने की योग्यता रखते हैं। इन्हें लेकर विवाद भी नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट यह जरूर मानते हैं कि रिटायरमेंट के तुरंत बाद जजों को सरकार द्वारा कोई पद नहीं दिया जाना चाहिए।

जूनागढ़ कोर्ट ने हिरासत में 60 वर्षीय व्यक्ति की मौत मामले में 11 पुलिसकर्मियों को बरी किया

https://www.vibesofindia.com/hi/junagadh-court-acquits-11-cops-in-2019-custodial-death-of-60-yr-old-man/

जूनागढ़ में मजिस्ट्रेट अदालत ने 2019 में एक 60 वर्षीय व्यक्ति की हिरासत में हुई कथित मौत के मामले में सभी 11 आरोपी पुलिसकर्मियों को बरी करते हुए मामले को बंद कर दिया है। यह फैसला

पिछले साल 11 नवंबर को हिरासत में यातना देकर पीड़ित को मौत के घाट उतारने की पुष्टि करते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) द्वारा गुजरात सरकार को नोटिस जारी करने के तीन सप्ताह के भीतर आया है। आयोग ने राज्य सरकार से पूछा था कि हीराभाई रूपाभाई बजनिया के रूप में पहचाने गए पीड़ित के परिवार को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा देने की सिफारिश क्यों नहीं की जानी चाहिए। जिला सरकारी वकील (डीजीपी) नीरव पुरोहित ने बताया कि गुजरात सरकार ने अभी तक बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर नहीं की है।

एनएचआरसी ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपने पैनल के मेडिकल एक्सपर्ट और बाजनिया के शव के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर भरोसा किया। उसने इस घटना की न्यायिक जांच की रिपोर्ट को "ईमानदारी में कमी" करार दिया था। आयोग ने कहा था, "आयोग के पास यह मानने का पक्का आधार है कि मृतक हीराभाई रूपाभाई बजानिया के साथ जूनागढ़ सिटी "सी" डिवीजन पुलिस स्टेशन में मारपीट की गई थी। उन्हें यातना दी गई थी। पुलिस हिरासत के दौरान उन्हें लगी चोटों को उनकी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। यह मृतक के मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक उचित मामला है, जहां उनके रिश्तेदार मुआवजे के हकदार हैं। "

एनएचआरसी ने यह भी निर्देश दिया कि गुजरात सरकार को मुख्य सचिव के माध्यम से छह सप्ताह के भीतर कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए कि क्यों न पीड़ित परिवार को 7.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया जाए।

हालांकि, जूनागढ़ मजिस्ट्रियल कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट जिगर मेहता की अदालत ने 29 नवंबर 2022 को बजानिया की विधवा सहित प्रमुख गवाहों के अदालत में पलट जाने के बाद दो पुलिस उप-निरीक्षकों (PSIs) सहित 11 पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया। साथ ही न्यायिक जांच (judicial enquiry) की उसी रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि हिरासत में यातना का कोई सबूत नहीं है। इसलिए मामले को बंद किया जाता है।

28 अगस्त, 2019 को जूनागढ़ शहर के 'सी' डिवीजन पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के अनुसार, बजानिया, शंकर कालियावाड़ा और 10 अन्य लोगों को जूनागढ़ शहर के चोबारी रोड पर विनायक अपार्टमेंट के पास उनकी झोपड़ियों से कथित तौर पर 16 अगस्त 2019 की रात लगभग 2 बजे एक दर्जन पुलिस वालों ने उठा लिया था।

एफआईआर में कहा गया है कि पुलिसकर्मी उन 12 लोगों को, जो दिहाड़ी मजदूर थे, जूनागढ़ के 'सी' डिवीजन पुलिस स्टेशन परिसर में ले गए। वहां पुलिसकर्मियों ने मजदूरों से कहा कि जूनागढ़ शहर के मीरानगर इलाके में उनकी झोपड़ियों के पास डकैती हुई है। उन सबसे डकैती का आरोप कबूल कर लेने को कहा।

हालांकि, कालियावाड़ा द्वारा दायर एक शिकायत के आधार पर दर्ज की गई एफआईआर के अनुसार, 12 मजदूरों ने कथित डकैती में किसी भी तरह की भूमिका से इनकार किया। इसके बाद पुलिस बजानिया को थाने के एक कमरे में ले गई और कथित तौर पर उसकी पिटाई की। बाद में, पुलिस ने एक के बाद एक तीन अन्य लोगों को कमरे के अंदर ले जाकर कथित तौर पर पिटाई की। एफआईआर में कहा गया है कि कमरे से बाहर आने के बाद बजानिया और तीन अन्य ने साथी मजदूरों से कहा कि पुलिस ने उन्हें कबूल करने के लिए कमरे के अंदर प्लास्टिक के पाइप से पीटा।

एफआईआर के मुताबिक, उस दिन सुबह करीब 10 बजे पुलिस ने कालियावाड़ा, बजानिया और अन्य को थाने के पीछे ले जाकर प्लास्टिक के पाइपों से पीटा और फिर उन्हें थाने के अंदर लॉकअप में धकेल दिया। पुलिस उस दिन दोपहर

करीब तीन बजे बजानिया को हवालात से बाहर लाकर उससे पूछताछ कर रही थी तो वह बेहोश हो गया। उसे जूनागढ़ के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया।

एनएचआरसी की कार्यवाही के विवरण के अनुसार, जूनागढ़ के तत्कालीन तीसरे अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मामले की न्यायिक जांच की। निष्कर्ष निकाला कि बाजनिया की मृत्यु "दिल का दौरा" पड़ने के कारण हुई थी, न कि डॉक्टरों द्वारा उनके पोस्टमार्टम में दर्ज बाहरी चोटों के कारण।

एनएचआरसी ने पाया कि पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मृतक को चोटें कैसे लगीं, इस बारे में जांच रिपोर्ट में कुछ नहीं था। जांच में साथियों के इन बयानों की अनदेखी की गई कि पीड़ित को पुलिस द्वारा पीटा गया था।

आयोग ने कहा, "मजिस्ट्रियल जांच ने डॉक्टरों द्वारा दी गई मौत के अंतिम कारण को खारिज कर दिया है कि मौत शरीर पर मौजूद कई चोटों के कारण हुई थी। इस प्रकार, घटना की मजिस्ट्रियल जांच भरोसे लायक नहीं लगती हैस क्योंकि इसे ईमानदारी से नहीं किया गया है।"

एनएचआरसी ने अपने पैनल की मेडिकल टीम की राय और जामनगर में डॉक्टरों की पोस्ट-मॉर्टम जांच रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए निष्कर्ष निकाला कि पीड़ित को लगी बाहरी चोटें दरअसल हिरासत में दी गई यातना से जुड़ लग रही थीं। इसके कारण ही बजानिया की मौत हुई। इसके बाद आरोपी पुलिसकर्मियों पर विभिन्न गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया।

फिर पुलिस ने दो पीएसआई और नौ कांस्टेबलों सहित 11 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया। वहीं जांच अधिकारी ने धारा 302 के लिए क्लोजर समरी दाखिल करते हुए कहा कि बजनिया की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई थी और उन्होंने न्यायिक जांच रिपोर्ट का भी हवाला दिया।

जूनागढ़ में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने समापन सारांश (closure summary) को मंजूरी दे दी और फिर आईपीसी की धाराओं 323, 330, 342, 348 और 34 के तहत कम अपराधों के लिए 11 पर मुकदमा चलाया।

मुकदमे के दौरान सबूत पक्ष ने बजानिया के शव का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों और सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण करने वाले फोरेंसिक विशेषज्ञों से गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की।

अदालत ने सबूत के तौर पर पुलिस स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज को जांचने से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान गवाहों ने कहा था कि उन्हें पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया गया था।

NHRC seeks report on abduction, murder of Mamita Meher

https://timesofindia.indiatimes.com/city/bhubaneswar/nhrc-seeks-report-on-abduction-murder-of-mamita-meher/articleshow/98064750.cms

BHUBANESWAR: The National Human Rights Commission (NHRC) has sought a detailed action taken report from Balangir SP in the matter of the Mamita Meher murder case within four weeks. It has also sought a report on compensation paid to the next of kin of the deceased.
The Commission issued this notice on Friday after hearing a petition filed by lawyer and human rights activist Radhakanta Tripathy on October 20, 2021. The petitioner alleged that Meher, who was working as a teacher at a school in Kalahandi district, went missing on October 8, 2021. After 10 days, her mutilated half-burnt body was exhumed from the playground of her institution.

The complainant, a family member of Meher from Balangir district, had suspected the school committee chairman Gobinda Sahu as the culprit. He had requested the Commission for proper investigation, action against the errant police officials and Rs 50 lakh compensation to next of kin of the deceased.

The NHRC took cognizance of the matter on September 22 last year and directed Kalahandi SP to submit an action taken report in the matter within four weeks. As the victim was murdered within the jurisdiction of Sindhekela police station in Balangir district, investigation of the case was taken up by Balangir Police. “Except rendering necessary assistance to Balangir Police as and when sought for, Kalahandi Police had no role in investigation of the case,” said the Kalahandi police’s report submitted before the Commission.

After this, the NHRC issued a direction to Balangir SP to submit an action taken report in the matter, within four weeks, including details of compensation paid to the next of kin of deceased victim, if any.

Mastermind of the case Gobinda Sahu, who was arrested by the Balangir police, allegedly died by suicide on December 20 last year. The incident happened inside Kantabanji jail in Balangir district. Odisha director general of police Sunil Kumar Bansal had ordered a Crime Branch probe into the matter.

This high-profile case had rocked the state. Opposition parties had demanded the resignation of former minister of state for home Dibyashankar Mishra for his alleged involvement in the case.

मानवाधिकार सी डब्लू ए की शिकायत पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने जिलाधिकारी को जारी किया रिमाइंडर

https://krantiodishanews.in/35298/

चन्दौली- (UP) राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को सूचना उपलब्ध न कराये जाने पर आयोग ने जिलाधिकारी चन्दौली को रिमाइंडर जारी करते हुए चार सप्ताह में भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का सख्त निर्देश दिया है। यदि ऐसा नही हुआ तो सम्बंधित प्राधिकारी के ऊपर कठोरतम कार्यवाई की जाएगी। पूरा मामला नौगढ़ स्थित भेड़ा फॉर्म का है जहाँ एक बालक को सांप ने डंस लिया था जिससे वह बेहोश हो गया था। परिजनों ने बालक को लेकर सामुदायिक स्वाथ्य केंद्र पर पहुचे थे, लेकिन उसका उपचार नही हो सका। जिससे उसकी मौत हो गई। बतादे कि श्याम विहारी भेड़ा फार्म में झोपड़ी लगाकर रहता है उसका सात वर्षीय पुत्र समीर खेल रहा था इसी दौरान सांप ने डंस लिया। सीएचसी पर डाक्टरो द्वरा उपचार नही किये जाने से बच्चे की मौत हो गई। मामला संज्ञान में आने के बाद मानवाधिकार सी डब्लू ए के चेयरमैन योगेन्द्र कुमार सिंह (योगी) ने NHRC में शिकायत भेजकर दोषी डाक्टरो के ऊपर कठोरतम कार्यवाई करने एवं मृतक के परिवार को ऊँचीत मुवावजा दिलाने का अनुरोध किया था।

आयोग ने 07/10 2022 को मामले का संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी चन्दौली को रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया साथ ही राज्य मानवाधिकार ओयोग उत्तर प्रदेश से भी मामले में संज्ञान लेने की कोई तिथि हो तो मांग की। आयोग ने पाया कि मौनुदा मामले में निर्देश के बावजूद जिलाधिकारी द्वरा कोई रिपोर्ट प्रारप्त नही हुई। आयोग ने सख्त कदम उठाते हुए जिलाधिकारी चन्दौली को अंतिम रिमाइंडर जारी करते हुए 18/03/2023 तक अतिरिक्त/ पूर्ण रिपोर्ट प्रेषित करने का निर्देश दिया। आयोग ने अपने निर्देश में यह भी कहा की यदि रिपोर्ट प्रस्तुत नही किया गया तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 13 के तहत अपनी कठोरतम शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य होगा।